बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./ 2021/ 4276 — 28 मई, 2021

–: ई-निविदा सूचना सं0 02 (वर्ष 2021-22) –:

वर्ष 2021–22 नगरीय सीमा क्षेत्र में आवारा पशुओ को पकडने एवं परिवहन कर निगम द्वारा निर्धारित अन्य गौशाला में छुडवाने के कार्य के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 08-06-2021, निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक 09-06-2021 एवं तकनिकी बिड खोलने की दिनांक 11.06.2021 है। निविदा की शर्ते निगम की वेबवाईट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड भी की जा सकती है। सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य है।

अनुमानित लागत :– 37.50 लाख है।

(ए. एच. गौरी)RAS
आयुक्त

क्रमांक/स्वा./ 2021/ 4276-80 — 28 मई, 2021

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक राज्य स्तरीय बीकानेर संस्करण मुख्य दैनिक समाचार पत्र एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें। में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर कार्यालय महोदय, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

(ए. एच. गौरी)RAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./ 2021/ 4270 – 28 मई, 2021

–: ई-निविदा सूचना सं0 13 (वर्ष 2021-22) –:

वर्ष 2021–22 नगरीय सीमा क्षेत्र में आवारा पशुओ को पकडने एवं परिवहन कर निगम द्वारा निगम द्वारा निर्धारित अन्य गौशाला में छुडवाने के कार्य के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते निगम की वेबवाईट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध हैं।

कार्य की अनुमानित लागत – 37.50 लाख
निविदा प्रपत्र शुल्क – 1000/- रूपये (ऑनलाईन)
ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क – 500/– रूपये (ऑनलाईन)
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक – 08-06-2021 शाम 6:00 बजे तक
निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक – 09-06-2021 शाम 6:00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक – 11.06.2021 शाम 04:00 बजे तक

सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य है।

(ए. एच. गौरी)RAS
आयुक्त

क्रमांक/स्वा./ 2021/ 4270-75 28 मई, 2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(ए. एच. गौरी)RAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

तकनीकी बीड (प्रथम भाग)

1	ई–निविदा सूचना संख्या 02/2021–22		
2	कार्य का नाम	बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन कार्य	
3	नाम फर्म		
4	डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	08.06.2021	6:00 PM तक
5	अपलोड करने की अंतिम तिथि	09.06.2021	6:00 PM तक
6	तकनीकी बीड खोलने की दिनांक	11.06.2021	11:00 AM

(http://eproc.rajasthan.gov.in)

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

–: सहमति–पत्र :–

उक्त प्रपत्र की पूर्ति आवश्यक रूप से करें :–

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	√ करें
1.	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र	संलग्न है/नहीं है
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है
5.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
6.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
8.	50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र।	संलग्न है/नहीं है

क्रम संख्या 1 से 08 की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) खोली जायेगी। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड करने एवं संलग्न शर्तो पर आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन आपूर्ति कार्य करने एवं निविदा शुल्क/ई–टेण्डरिंग शुल्क ऑनलाईन जमा कराने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वितिय बीड (द्वितीय भाग)

3. ई–निविदा सूचना संख्या – 02/2021–22

4. कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन कार्य

फर्म का नाम :–

<table>
<tr>
<td>आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन वाहन, श्रमिक, चालक व ईंधन सहित आपूर्ति कार्य</td>
<td>प्रति आवारा गौवंश पकड़ने एवं परिवहन, श्रमिक, चालक व ईंधन सहित निविदा शर्तो के अनुसार समस्त करो सहित रूपय किलोमीटर की दर निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>किलोमीटर</th><th>दर प्रति आवारा गौवंश</th></tr>
<tr><td>20 किलोमीटर तक</td><td></td></tr>
<tr><td>21 से 30 तक</td><td></td></tr>
<tr><td>31 से 40 तक</td><td></td></tr>
<tr><td>41 से 50 तक</td><td></td></tr>
<tr><td>51 से 60 तक</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>60 किमी से अधिक प्रति ट्रिप (आना–जाना)</td><td>दर प्रति किमी.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगरीय क्षेत्र से आवारा पशुओ को पकड़ने एवं परिवहन कार्य की निविदा सूचना संख्या 02 (वर्ष 2021-22)

निविदा शर्ते

1. सफल निविदादाता को नगरीय क्षेत्र के समस्त वार्डो से आवारा गौवंश को पकडकर निगम द्वारा द्वारा निर्धारित गौशाला में छोडने हेतु कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए आवश्यकता होगी।
2. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रथम भाग :– तकनीकी बीड के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स 1 से 08 तक

1.	फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने का शपथ–पत्र 50/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा–पत्र।
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा–पत्र।
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा–पत्र।
5.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8.	50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र। (सलग्न प्रारूप)

द्वितीय भाग :– बिड के साथ कोई भी पत्र संलग्न नही किया जावेगा मात्र दर भरकर प्रस्तुत करना है।

3. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व ही निगम में नियमानुसार 2.5 प्रतिशत धरोहर राशि निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा संबंधित समस्त शुल्क जैसे ई–टेण्डरिंग निविदा प्रक्रिया शुल्क आदि नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर ऑनलाईन ही जमा करना अनिवार्य होगा।
5. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2 (1) वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के क्रम में बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर बिड सिक्यूटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अतः संवेदकों/फर्मों द्वारा बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर 50/– रूपये के स्टाम्प पर संलग्न घोषणा पत्र निविदा में अपलोड कर सकता है।
6. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है तो उनके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाऐ खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
7. किसी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क ऑनलाईन जमा करवाना अनिवार्य है।
9. सफल निविदादाता श्रम अधिनियमो/उप नियमो की पालना करनी होगी, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के कर चुकाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
10. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। जिसके लिये निगम कारण बताने के लिये बाध्य नही होगा। कांट छाट की गई निविदाओ पर बिना लघु हस्ताक्षर के विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम आवश्यकतानुसार आवारा सांड/गोधा पकड़ने एवं परिवहन करने वाले (वाहन, चालक, श्रमिक व ईंधन सहित) उपलब्ध करवानी होगी, चालक व श्रमिक मृदुभाषी एवं अनुशासित होने चाहिऐ।
12. निविदा संबंधित समस्त शुल्क जैसे ई–टेण्डरिंग निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि आदि नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर ऑनलाईन जमा करवाने के साथ–साथ संबंधित जमा रसीदें अपलोड करनी होगी।

13. आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक एवं मजदूरों पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ. एल. टूट–फूट मरम्मत चालक व मजदूरों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
14. सफल निविदादाता द्वारा निगम अधिकारी से प्रमाणित प्रस्तुत बिल के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
15. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा ।
16. कार्य आदेश प्राप्ति होने के 07 दिवस में निविदा दाता को आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक एवं ईंधन सहितं उपलब्ध करवानें होगें।
17. कार्य करते समय आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगी । समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा ।
18. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये मान्य होगी । निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होनें तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकती है । आवश्यकता पडने पर आवारा सांड/गोधा पकड़ने वाले वाहन, श्रमिक, चालक की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है। इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा
19. सफल निविदादाता द्वारा आपूर्ति दी जाने वाली आवारा गौवंश पकड़ने वाले वाहन का निर्धारित सेंटर बीकानेर नगर निगम भण्डार होगा। प्रतिदिन पकडे गये आवारा गौवंश सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी के निर्देशन में टैगिंग करवाना होगा, संधारित रजिस्टर भण्डार में वाहन के आने व जाने का समय अंकित कर चालक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
20. आवारा गौवंश छोटे व बडे एक ही श्रेणीं में शामिल होगे। सफल निविदादाता को नगर निगम बीकानेर के अधिकारी गण/निरीक्षक गण के निर्देशानुसार स्थल से आवारा पशुओ को पकडकर परिवहन कार्य करना होगा।
21. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा आवारा गोधे/सांड पकड़े बाबत् सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी से प्रमाणित कराना होगा। निविदादाता को आवारा सांड/गोधा पकड़ने एवं परिवहन के बिल संबंधित स्वच्छता निरीक्षक को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
22. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन हो तो वह अपने वाहन से पकड़ने एवं छोड़ने का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर निविदादाता के पास गाय पकड़ने वाला पिंजरा (वाहन) हेतु निगम कोष में प्रतिदिन पिंजरा किराया शुल्क 1000/– रु. जमा करवाकर या प्रस्तुत बिल में से कटौती करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
23. निविदादाता/ठेकेदार जिस स्थान/.जगह से आवारा गौवंश पकड़कर निगम के भण्डार गृह कार्यालय में पकड़कर लाये गये गोधों की संख्या प्रविष्ठी दर्ज एवं हस्ताक्षर करवायेंगे। पंजिका में इन्द्राज करने के पश्चात् ही निर्धारित स्थल तक सुरक्षित परिवहन करना होगा। इन्द्राज पंजिका संधारण कार्य इंचार्ज भण्डार गृह द्वारा किया जावेगा।
24. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा पकड़े गये आवारा गौवंश का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी के द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जायेगा। सम्बन्धित निरीक्षक प्रतिदिन पकड़े गये गौवंश की लिखित में रिपोर्ट स्वास्थ्य शाखा में देंगे।
25. निविदादाता/ठेकेदार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौशाला में भी निर्देशानुसार छोड़ना होगा।
26. परिवहन ठेकेदार आवारा गौवंश को छोड़ते समय निगम के स्वच्छता निरीक्षक/जमादार/अधिकृत्त कर्मचारी अधिकृत रुप से साथ जायेगें। निविदादाता/ठेकेदार को निगम से आवश्यक शुल्क जमा करवाकार लॉग बुक प्राप्त करनी होगी। प्राप्त लॉग बुक में आवारा गौवंश का परिवहन की प्रविष्ठि होगी एवं लॉग बुक एवं आवारा गौवंश छोड़ने के रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर होंगे।
27. भण्डार गृह में आवारा गौवंश को पकड़कर ले जाते समय एक पंजिका का संधारण होगा जिसमें ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी पंजिका में लिये जायेंगे।
28. निविदादाता/ठेंकेदार को आवरा गौवंश के पागल होने की स्थिति में एवं सूचना मिलने पर तुरन्त पकड़ने वं परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
29. निविदादाता/ठेकेदार को आपातकालीन परिस्थिति/अतिविशिष्ठ व्यक्तियों के आगमन पर, राष्ट्रीय पर्व, दीपावली, होली, ईद, मोहर्रम, महावीर जयंती एवं अन्य धार्मिक समारोह–जुलुस के दौरान भी आवरा गौवंश पकड़ने के लिए जिम्मेवार होंगे। यदि खुले नाले में आवारा गौवंश गिर जाता है तो नाले से पशु को निकालने एवं परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
30. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा सर्किल निरीक्षक/प्रभारी एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश की पालना नहीं करने एवं किसी भी प्रकार से फाल्ट होने पर 1000/– रु. प्रतिदिन पैनल्टी लगाया जायेगी।
31. निगम विशेष परिस्थितियों में निगम के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ही राजपत्रित अवकाश, शनिवार, रविवार को भी पकड़े/परिवहन का कार्य किया जा सकेगा।

32. निविदादाता/ठेकेदार को आपातकालीन स्थिति में आवारा गौवंश को रात्रिकालीन में भण्डार गृह के कांजी–हाऊस में रखने की अनुमति दी जायेगी। अगले दिन इस स्थल (कांजी–हाऊस) से आवारा गौवंश को निर्धारित स्थल पर परिवहन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
33. आवारा गौवंश को पकड़ने एवं परिवहन कार्य हेतु श्रमिकों की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी एवं श्रमिकों की मजदूरी, सुरक्षा एवं अन्य सहायता इत्यादि चुकाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी तथा कार्य करते समय अगर संसाधान एवं श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होता है तो श्रमिक का इलाज मुआवजा एवं संसाधन की मरम्मत आदि की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। समस्त दायित्व का भार ठेकेदार का होगा।
34. निविदादाता को आवारा गौवंश को पकड़ने एवं परिवहन कार्य करते समय ''पशु क्रुरता नियम'' का पालन करना होगा। डण्डे से पीटकर पशु पकड़ना एवं क्षमता से अधिक पशुओं का परिवहन वर्जित होगा।
35. ठेकेदार/निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवारा गौवंश के परिवहन बिल प्रस्तुत करने होंगे।
36. निविदादाता को श्रम नियमो का पालन करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम के साथ नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा तथा कार्य–आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर कार्य शुरु करना होगा।
37. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् अगर निविदादाता कार्य करने में असफल रहता है तथा कार्य संतोषजनक रुप से संपादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा में भाग लेने विवर्जित हो जायेगा।
38. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इसके लिए निगम कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
39. निविदा सबलेट करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। इस कार्य का उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
40. दूरी की गणना परिवहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार मानी जावेगी।
41. सफल निविदादाता द्वारा पकड़े गये आवारा गौवंश को छोड़ने जाते समय संबंधित वार्ड का सफाई कर्मचारी साथ जायेगा। आवारा गौवंश को पकड़ने एवं छोड़े जाते समय के फोटो प्रस्तुत करने होंगे। वार्ड के जमादार/प्रभारी एवं स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी स्वच्छता द्वारा प्रमाणिकरण करने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
42. महापौर/आयुक्त/उपायुक्तगण/स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता प्रभारियों आदि द्वारा निर्देश दिये जाने पर ही आवारा गौवंश को पकड़ना होगा।
43. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा।
44. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानत एवं सुरक्षित धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।
45. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 लागू होंगे।
46. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वैधानिक विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

21.5.21

स्वास्थ्य अधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	उपविधि परामर्शी	सहायक अभियंता	उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	यांत्रिक	बीकानेर नगर निगम

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्युरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है;

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्युरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्युरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्युरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(निर्मल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Phone No. 0141-2227921
Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
www.finance.rajasthan.gov.in
E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---

Name :--

In the capacity of :-----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

शपथग्रहिता